(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–29–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–85/निगरानी/04–05

.....

1– बालमुकुन्द अग्रवाल पिता स्व0 श्री गोपालदास अग्रवाल

2– अरूण कुमार अग्रवाल पिता स्व0 श्री गोपालदास अग्रवाल

दोनों निवासी–जयस्तम्भ चौक सतना, तहसील रघुराजनगर

जिला–सतना, म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्याम सुन्दर उर्फ कल्लू यादव तनय श्री भूरा यादव

निवासी–धवारी सतना तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना, म0प्र0

2– शासन मध्यप्रदेश

———अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/05/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण द्वारा आराजी खरा नं0 448/9/2, 449/2 एवं 468/3/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 एकड़ बाका मौजा धवारी सतना पटवारी हल्का नं0 96 तहसील रघुराजनगर जिला–सतना के सीमांकन बावत आवेदन–पत्र मय चालान जमा करके तहसीलदार, रघुराजनगर सतना के समक्ष दिनांक 01.09.2004 को प्रस्तुत

किया गया, उक्त सीमांकन आवेदन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.02.2005 को सीमांकन की पुष्टि की गई । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 215/निगरानी/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2005 द्वारा तहसीलदार के द्वारा पारित सीमांकन आदेश को निरस्त कर वर्ष 1990 में कराये गये सीमांकन को उचित मानते हुये आदेश पारित किया है। जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष पेश की जो प्रकरण क्रमांक 85/निगरानी/2004–05 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 30.12.2005 द्वारा आवेदकगण की निगरानी खारिज की गई। अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2005 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अपने स्वामित्व एवं कब्जा दखल वाली आराजियों का नियमानुसार सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न की गई। सीमांकन कार्यवाही सम्पन्न के समय स्थल पंचनामा में उपस्थित सरहद्दी काश्तकारों ने हस्ताक्षर किया और सीमा की जानकारी प्राप्त कर उक्त सीमांकन की कार्यवाही बन्दोबस्ती सड़क, जो शासकीय है, जिसका नम्बर 442 है को मुस्तकील स्थान मानकर उक्त आराजियों की नाम की गई तथा नाप कर सीमांकन प्रतिवेदन स्थल, पंचनामा, नक्शा, सूचना में जो लोग उपस्थित थे, उनके हस्ताक्षर करवाये गये और उक्त सीमांकन के कुछ दिन बाद अनावेदकगण द्वारा सीमांकन में विवाद किया जाने लगा तब आवेदकगण द्वारा आराजी नं0 447 एवं 448 का सीमा निर्धारण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और उक्त सीमा की निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद सीमांकन एवं सीमा निर्धारण के समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, उसमें भी अनावेदक क्र0 1 के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति का निगराकरण होने के बाद भी अनावेदक क्र0 1 के द्वारा अपर कलेक्टर सतना के न्यायालय में उक्त सीमांकन की कार्यवाही को अवैध बताकर निगरानी प्रस्तुत की गई, जबकि उक्त सीमांकन की कार्यवाही विधि अनुसार सही एवं सत्य थी। गैर निगरानीकार की न तो वहां कोई जमीन शेष बचती वहां कोई रकबा ही था। इस कारण से भी उक्त अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4/ अनावेदक क्र0 1 सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अनावेदक क्र0 2 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । उन्होंने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है।

5/ आवेदक एवं अनावेदक क्र0 1 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर सरहदी कास्तकारों को विधिवत्त सूचना नहीं दी गई है। फील्डबुक तैयार नहीं की गई है। स्थल पंचनामें में कांटछांट की गई है। इसी कारण अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर ने की गई सीमांकन की कार्यवाही को संदिग्ध माना और वर्ष 1990 के सीमांकन को यथावत रखा । अपर कलेक्टर द्वारा विस्तार से विवेचना कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश से की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ अतएव उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं ठोस आधार के आभाव में निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2005 न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। प्रकरण समाप्त हो। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,